उत्तराखण्ड शासन
पर्यटन
सख्या:-1792/VI(1)/2012-117 (पर्य0)/2001
देहरादून: दिनांक:- 30 नवम्बर, 2021

अधिसूचना/प्रकीर्ण

राज्यपाल, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् अधिनियम 2001 की धारा 20 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना नियमावली, 2002 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है, अर्थातः-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम "वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना (संशोधन) नियमावली 2021" है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 7 का संशोधन 2. वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना नियमावली-2002 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 7 के प्रस्तर एक के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया प्रस्तर रख दिया जायेगा, अर्थातः-

विद्यमान प्रस्तर स्तम्भ-1	एतदद्वारा प्रतिस्थापित प्रस्तर स्तम्भ-2
7- राजकीय सहायता की धनराशि:- राजकीय सहायता की धनराशि नियम-6 के अन्तर्गत वर्णित प्रयोजन हेतु पूंजीगत संकर्म (वाहन मद में) की लागत के 25 प्रतिशत या 10 लाख एवं बस इलैक्ट्रीक/लक्जरी बस हेतु 50 प्रतिशत या अधिकतम 15 लाख, इसमें जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी तथा नियम-6 में वर्णित प्रयोजन के लिए (गैर वाहन मद में) पर्वतीय क्षेत्र हेतु पूजी संकर्म की लागत का 33 प्रतिशत या रू0 15 लाख तथा मैदानी क्षेत्र हेतु 25 प्रतिशत या रू0 10 लाख, इनमें जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी।	7- राजकीय सहायता की धनराशि:- नियम 6के अधीन वर्णित प्रयोजन हेतु राजकीय सहायता की धनराशि (वाहन मद में) पूंजीगत संकर्म की लागत के 25 प्रतिशत या 10 लाख एवं इलैक्ट्रीक लक्जरी बस हेतु 50 प्रतिशत या अधिकतम 20 लाख, इसमें से जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी तथा गैर वाहन मद में पर्वतीय क्षेत्र हेतु पूंजीगत संकर्म की लागत का 33 प्रतिशत या 33 लाख रूपये तथा मैदानी क्षेत्र हेतु 25 प्रतिशत या 25 लाख रूपये, इनमें से जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी।

आज्ञा से,

(दिलीप जावलकर)
सचिव।

संख्या– 17820/VI(1)/2012–117(पर्य0)/2021, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :–

(1) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्उ शासन।

(2) महालेखकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(3) आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी, उत्तराखण्ड।

(4) आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल नैनीताल, उत्तराखण्ड।

(5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद, देहरादून।

(6) समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

(7) समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

(8) स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

(9) समस्त जिला पर्यटन विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।

(10) निदेशक, राजकीय प्रेस, उत्तराखण्ड रूड़की को इस अनुरोध के साथ कि इस अधिसूचना (हिन्दी एवं अग्रेजी)को गजट के आगामी अंक में प्रकाशित करायें तथा गजट की 200 प्रतियां शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध करायें।

(11) गार्ड फाईल।

(विवेक कुमार जैन)
उप सचिव।